बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
–::संकल्प::–

पटना–15, दिनांक 22.11.18

इन्दिरा आवास आवंटन में अनियमितता संबंधी परिवाद से उदभूत वाद संख्या–01/लोक(पंचायत) 155/10 में माननीय लोकायुक्त द्वारा दिनांक 07.02.2018 को पारित अंतरिम आदेश के आलोक में श्री बिन्देश्वरी प्रसाद, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–424/2011 तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, फुलपरास (मधुबनी) को निलंबित करने की अनुशंसा की गयी जो लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना के पत्रांक 1245 दिनांक 15.02.2018 द्वारा प्राप्त हुआ। सम्यक विचारोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9(1)(क) में निहित प्रावधानो के तहत श्री प्रसाद को विभागीय संकल्प ज्ञापांक–5292 दिनांक 18.04.2018 द्वारा निलंबित किया गया साथ ही विभागीय संकल्प ज्ञापांक–5333 दिनांक19.04.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री प्रसाद को निलंबन मुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया। तदनुसार श्री प्रसाद को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है।

3. श्री प्रसाद, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में योगदान (पदस्थापन की प्रतीक्षा हेतु) करेगें।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

22/11/18

(राम बिशुन राय)
सरकार के अवर सचिव।

निबंधित
स्पीड पोस्ट

ज्ञापांकः–08/आरोप–01–66/2016 सा0प्र0 15225 **/ पटना–15 दिनांक** 22.11.18

प्रतिलिपि–महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी, बिहार, पटना)/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/प्रधान सचिव ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, मधुबनी/अरवल/श्री बिन्देश्वरी प्रसाद, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–424/2011 तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, फुलपरास (मधुबनी)/कोषागार पदाधिकारी, पटना/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–12 एवं 14/चारित्री कोषांग एवं आई॰ टी॰ मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/11/18
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–08/आरोप–01–66/2016 सा0प्र0 15225 **/ पटना–15 दिनांक** 22.11.18

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, लोकायुक्त कार्यालय , बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/11/18
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–08/आरोप–01–66/2016 सा0प्र0 15225 **/ पटना–15 दिनांक** 22.11.18

प्रतिलिपि :–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी॰डी॰ एवं दो हार्ड कॉपी के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/11/18
सरकार के अवर सचिव।

Path-D:\Pan\Tiwari\Sanlekh.docx